

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 1471 /11-सी- FP/UP/Water/47013/2020, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 22, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:— जनपद झांसी में झांसी-भगवन्तपुरा-मऊरानीपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-39 के किमी० संख्या-01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेस-1 के अंतर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाये जाने में प्रभावित 0.40 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं०— FP/UP/Water/47013/2020

संदर्भ:— उ०प्र० शासन का पत्रांक-पी-109/81-2-2020-800(122)/2020, दिनांक 23.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी ने अपने पत्रांक-1498/33-1, दिनांक 18.12.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या— 1471 /11-सी-FP/UP/Water/47013/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
4. श्री आशीष कुमार रावत, सहायक परियोजना अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, झांसी।

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।